2025/150

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री यशवर्धन कंसारा पुत्र श्री प्रकाश कंसारा निवासी देवनगरी टांकरिया गली नं. 01 सिरोही जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अधिकारी, लघु उद्योग कॉर्पोरेशन लि. शाखा जयपुर।

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 26 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.05.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी लघु उद्योग कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा जयपुर को दिनांक 23.03.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि लघु उद्योग के अन्तर्गत तलवार एवं संबंधित उत्पादों के निर्माण हेतु लाईसेंस की आवश्यकता के सम्बन्ध में लघु उद्योग की समस्त नियमावली, आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया, कार्यप्रणाली तथा आवेदन से सम्बन्धित दस्तावेजों और तलवार व सम्बन्धित उत्पाद घर पर रखने तथा निर्माण स्थान पर भण्डारण करने हेतु आवश्यक लाईसेंस व उसकी समस्त प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा कराने के सम्बन्ध में पत्रावली पर किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी लघु उद्योग कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा जयपुर को दिनांक 23.03.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि लघु उद्योग के अन्तर्गत तलवार एवं संबंधित उत्पादों के निर्माण हेतु लाईसेंस की आवश्यकता के सम्बन्ध में लघु उद्योग की समस्त नियमावली, आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया, कार्यप्रणाली तथा आवेदन से सम्बन्धित दस्तावेजों और तलवार व सम्बन्धित उत्पाद घर पर रखने तथा निर्माण स्थान पर भण्डारण करने हेतु आवश्यक लाईसेंस व उसकी समस्त प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी लघु उद्योग कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा जयपुर से सम्बन्धित है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी लघु उद्योग कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा जयपुर के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर, सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (हस्ताक्षर) (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner